हडको

रिटेल फाइनेंस विंग

प्रेषक: जीएम-आरएफ	**सेवा में: सभी क्षेत्रीय प्रमुख/आरसी**

दिनांक: 20.12.023

विषय: हडको निवास के मृत्यु मामलों में प्रतिभूति दस्तावेजों के निपटान / रिलीज पर नीति

क. **<u>जहां मृतक ने वसीयत निष्पादित की:</u>**

ऐसे मामलों में जहां मृतक उधारकर्ता ने लाभ का दावा करने के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों को नामित करते हुए वसीयत तैयार की थी, दावेदारों से निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं:

i) प्राधिकरण द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र
ii) सक्षम न्यायालय से भावी उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत की परिवीक्षा को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ /उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
iii) आधार कार्ड/पासपोर्ट की प्रति
iv) केवाईसी
v) बैंक के खाते का विवरण

ख. **<u>जहां मृतक ने वसीयत नहीं की थी / बिना वसीयत के उसकी मृत्यु हो गई:</u>**

1. ऐसे मामलों में, जहां उधारकर्ता **वसीयत निष्पादित किए बिना मृत्यु को प्राप्त हों जाता है** या यदि वसीयत में नियुक्त निष्पादक कानूनी रूप से कार्य करने में असमर्थ है या कार्य करने से इनकार कर देता है, उन मामलों में दावेदारों से निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं:

i) प्राधिकरण द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र।

ii) उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकारी के पक्ष में सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र।
iii) आधार कार्ड/पासपोर्ट की प्रति
iv) केवाईसी
v) बैंक के खाते का विवरण

2. जहां वसीयत के अभाव में, सभी **कानूनी** उत्तराधिकारियों ने संयुक्त रूप से दावे के लिए आवेदन किया है या कानूनी उत्तराधिकारियों में से किसी एक के पक्ष में अपने अधिकारों का त्याग किया है, तो उन मामलों में, हडको के हितों की रक्षा के लिए, **सभी** दावेदारों/निष्पादकों से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं :

i) प्राधिकरण द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण पत्र।
ii) उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकारी के पक्ष में सक्षम न्यायालय से प्राप्त घोषणा पत्र/कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में उल्लिखित सभी कानूनी उत्तराधिकारियों का विवरण।
iii) त्याग विलेख, यदि उनके अधिकारों को किसी कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में त्यागा जा रहा हो।
iv) हडको के पक्ष में विधिवत् नोटरीकृत शपथपत्र/क्षतिपूर्ति बांड जिसमें यह कहा गया हो कि भविष्य में यदि हडको को कोई दावा/नुकसान/क्षति होती है तो हडको को हुई हानि की भरपाई के लिए हडको को क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
v) आधार कार्ड/पासपोर्ट की प्रति
vi) केवाईसी
vii) बैंक के खाते का विवरण

इसके अलावा, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सामान्य विवेक/वर्तमान प्रथा (संबंधित राज्य में) के अनुसार, आवश्यकतानुसार या प्रासंगिक पाए जाने वाले किसी भी अन्य दस्तावेज को भी, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर, दावेदारों से प्राप्त किया जा सकता है।

दावेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रारूप संलग्न है।

शेफाली सुधाकर जीएम-आरएफ

दावेदारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रारूप

दिनांक

सेवा में | पत्राचार हेतु पता
शाखा | प्रबंधक

....

हडको निवास | मोबाइल नं.........................

प्रिय महोदय/महोदया,

खाता संख्या से संबंधित मूल प्रतिभूति दस्तावेजों की रिहाई के लिए दावा श्री/श्रीमती की..

मृत्यु दिनांक को हो गई................ (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न)
आर/ओ...

....

स्वर्गीय श्री/श्रीमती ने आपके शाखा में रु .... का आवास ऋण खरीद/निर्माण ....
.....के लिए लिया था।

उन्होंने हडको के पास मूल प्रतिभूति दस्तावेज और निम्नलिखित संपत्ति का समतुल्य बंधक जमा किया: -

बंधक संपत्ति का पता
....

....

मृतक की मृत्यु पर मूल प्रतिभूति दस्तावेज/या अधिशेष बिक्री आय (यदि हडको द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति बेची गई है) प्राप्त करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। मैं/हम इस संबंध में मृतक और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

क. मृत्यु की तिथि और स्थान ....

ख. मृत्यु प्रमाण पत्र का विवरण ....

ग. मृतक का स्थायी पता ....

घ. मृतक के माता-पिता के नाम ....

ङ. विधवा/विधुर का नाम ....

च. मृतक के जीवित बच्चों/कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम एवं आयु

2 ....
3 ....
4 ....

छ. उपरोक्त सभी का केवाईसी

ज. सभी दावेदारों के हस्ताक्षर

ख. मृत्यु प्रमाण पत्र का विवरण ....

ग. मृतक का स्थायी पता ....

घ. मृतक के माता-पिता के नाम ....

ई. विधवा/विधुर का नाम ....

च. मृतक के जीवित बच्चों/कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम एवं आयु

2................................
3................................
4................................

छ. उपरोक्त सभी का केवाईसी जगह........................

ज. सभी दावेदारों के हस्ताक्षर दिनांक ....